

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओपीओ सहारण आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या – 12/13

तहसीलदार धौलपुर वहेसियत लैण्ड होल्डर

----- प्रार्थी

बनाम

1. श्री बृजभूषण । पुत्रगण
2. श्री गोविन्द । केशवदेव जाति ब्राम्हण
3. श्री रामदत्त । निवासी विरोंधा
4. श्रीमती बासदेवी पत्नी स्व० केशवदेव
5. जी.टी.एल. टावर

----- अप्रार्थी


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177  
आरटीए

निर्णय

दिनांक – 8.05.18

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 852 रकवा 1 वीघा 8 विश्वा किस्म चा.अ. बाके ग्राम विरोंधा तहसील धौलपुर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज० सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 852 रकवा 1 वीघा 8 विश्वा ग्राम विरोंधा पर मोबाइल टावर स्थापित कर दिया है जो कानूनी रूप से अवैध है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत ओदी में पेश हुयी। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 उपस्थित आये। अप्रार्थीगण के द्वारा कनवर्जन हेतु फाइल पेश नहीं करना बताया गया।

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
धौलपुर (राज०)


प्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार धौलपुर उपस्थित आये। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण ने बिना सक्षम स्वीकृति के अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में मोबाइल टावर स्थापित कर अकृषि कार्य किया जा चुका है। अप्रार्थीगण को सूचना के बावजूद भी वह रूपान्तरण नहीं करा रहे हैं। अतः भूमि को आरटीए की धारा 177 के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत् 2066-69 ग्राम विरोंधा के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 852 पर अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार इस आराजी में बिना सक्षम स्वीकृति के मोबाइल टावर स्थापित कर लिया है। अप्रार्थीगण के द्वारा अभी तक भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन नहीं करना बताया गया। प्रकरण वर्ष 2013 से लम्बित है। दिनांक 1.6.17 को आयोजित लोक अदालत कैम्प में भी अप्रार्थी को रूपान्तरण की फाइल पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु अभी तक पत्रावली पेश नहीं की गयी है।

उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 852 रकवा 1 वीघा 8 विश्वा ग्राम विरोंधा के खातेदार काश्तकार द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत हम विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 852 रकवा 1 वीघा 8 विश्वा ग्राम विरोंधा तहसील धौलपुर पर खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भूमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। पत्रावली फैंशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत विरोंधा में सुनाया गया।

  
(ओपीओ सहारण)  
उपखण्ड अधिकारी  
धौलपुर